शोध संचयन
A Refereed Research Journal
And a complete Periodical dedicated to
Humanities & Social Science Research
ISSN 0975 1254 (PRINT)
ISSN 2249-9180 (ONLINE)
www.shodh.net
Vol. 8
Issue 2
15 July, 2017

# पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मुख्यालय के कर्मियों की कल्याणकारी योजनाओं के सापेक्ष उनकी कार्य-संतुष्टिः एक विश्लेषण

**बीज शब्द :**

*कार्य-सन्तुष्टि, कार्मिक कल्याण, एम0बी0एस0, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, कल्याणकारी योजनाएं, मानव संसाधन।*

*रेलवे वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने वाली एक सरकारी प्रतिष्ठान है, जिसमें सर्वाधिक कार्मिक कार्यरत है। रेलवे का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने कार्मिक को सन्तुष्टि प्रदान करें, जिससें उनका मनोबल ऊंचा हो तथा कार्य की उत्पादकता बढ़ सके। इस दिशा में भारतीय रेलवे द्वारा नित्य-प्रतिदिन नूतन प्रयोग किये जाते रहे हैं। कर्मियों के कल्याण के लिए अच्छी सुविधायें, अनुकूल कार्य की दशायें एवं आनुषंगिक लाभ, व्यक्ति में कार्य के प्रति प्रतिबद्धता पैदा करता है और इस प्रतिबद्धता से व्यक्ति में कार्य सन्तुष्टि पायी जाती है। सामान्यतः कार्य-सन्तुष्टि पर कार्य की संरचना का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। रोजगार की संरचना तनाव या दबाव को उत्पन्न करती है, जो कार्मिक की सन्तुष्टि को कई स्तरों से प्रभावित कर सकती है।*

*****

**डॉ० सुभाष कुमार गुप्ता**
असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
महराणा प्रताप पी0जी0 कालेज,
जंगल धूसड़ गोरखपुर
E-mail : subhashsahaji@gmail.com

# पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मुख्यालय के कर्मियों की कल्याणकारी योजनाओं के सापेक्ष उनकी कार्य-संतुष्टिः एक विश्लेषण

किसी कार्मिक को कार्य के प्रति प्रेरित करने के लिए कार्य संतुष्टि का होना आवश्यक है। एक कार्मिक अपने वर्तमान कार्य से संतुष्टि प्राप्त करके ही अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। कार्य संतुष्टि पर विभिन्न घटकों का प्रभाव पड़ता है। इन घटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कल्याणकारी योजनाएँ हैं।

प्रस्तुत शोध-पत्र में कार्मिक कल्याण की अवधारणा एवं रेलवे द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी योजनाओं तथा कर्मियों की कल्याणकारी योजनाओं के सापेक्ष उनकी कार्य-संतुष्टि का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।

1. **कार्मिक कल्याण की अवधारणा**-

कार्मिक कल्याण से अभिप्राय उन सुविधाओं से है जो एक नियोक्ता वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त अपने कर्मियों को प्रदान करता है। चिकित्सा सुविधा खेलकूद व मनोरंजन की सुविधाएँ, कैण्टीन व पुस्तकालय की सुविधाएं तथा कर्मियों के मकान व उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था आदि मुख्य रूप से सम्मिलित है।

कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था को अब कर्मियों की कार्यकुशलता बढ़ाने का आवश्यक अंग माना जाता है। जब कर्मियों को अपने नियोक्ता से वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त और सुविधाएं मिलती हैं तो वे सोचने लगते हैं कि नियोक्ता वास्तव में उनके कल्याण में रूचि रखता है। इससे उनका मनोबल ऊँचा होता है तथा औद्योगिक सम्बन्ध सुधरते हैं। कार्य व वातावरण से सन्तुष्टि के कारण कर्मियों के नौकरी छोड़कर जाने व अनुपस्थिति की दर में कमी आती है।[1]

पास कभी-कभी इतने साधन भी नहीं होते हैं कि वे अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध कर सके या कभी परिवार सहित सिनेमा देखने चले जायें। यदि नियोक्ता उन्हें ये सुविधाएं प्रदान कर दें तो कर्मियों को बहुत सहारा मिलता है। बड़े-बड़े संस्थानों में कर्मियों के कल्याण कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इन कल्याण अधिकारियों द्वारा कर्मियों के कल्याण योजनाओं की देख-रेख करना ही सामाजिक दृष्टिकोण से भी कार्मिक कल्याण कार्यों का विशेष महत्व है।[2]

**रीगे समिति** (1946)- ने श्रम कल्याण कार्यों का क्षेत्र बहुत व्यापक बताया है। इनमें वे सब क्रियायें सम्मिलित की जाती है, जो श्रमिकों के बौद्धिक, भौतिक, नैतिक तथा आर्थिक कल्याण से सम्बन्धित है। ये चाहें नियोक्ताओं द्वारा, चाहे सरकार द्वारा या फिर अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की जाती हो। इस प्रकार श्रम-कल्याण के अन्तर्गत आवास, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आराम, मनोरंजन एवं सहयोग सम्मिलित की जाती है। इसके अलावा बच्चों की पाठशालाएँ, शिशु गृह, सवेतन अवकाश, विशेष बीमा सुविधाएं (जिसमें बीमारी योजना, मातृत्व योजना, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी) आदि योजनाएं इसमें सम्मिलित की जाती है।[3]

**एन०एम० जोशी** के अनुसार, ''श्रम कल्याण कार्यों में वे सभी प्रयास सम्मिलित किये जाते है। जो श्रमिक को न्यूनतम स्तर पर निर्धारित कार्य की दशाओं के अतिरिक्त लाभान्वित करने की दृष्टि से किये जाते हैं। ये प्रयास कारखाना अधिनियम तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त दिये गये लाभों से सम्बन्धित है जो दुर्घटना, वृद्धावस्था, बेरोजगारी तथा बीमारी से सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं।''[4]

**अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के अनुसार**- ''ऐसी सेवाएं एवं सुविधाएं जैसे सुव्यवस्थित जलपान गृह, विश्राम गृह, मनोरंजन सुविधाएं, घर से कार्य-स्थल तक एवं कार्य-स्थल से घर तक आवागमन की सुविधाएं तथा अन्य ऐसी सेवाएं जिनसे कार्यक्षमता में वृद्धि होती हों ।[5] श्रम-कल्याण की परिभाषा में सम्मिलित की जाती है।''

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 102 की सिफारिश के अनुसार श्रम-कल्याण के अन्तर्गत (अ) भोजन की व्यवस्था जो इकाई के भीतर की गयी हो या अन्यत्र (ब) विश्राम तथा मनोरंजन की सुविधाएं तथा (स) जहाँ सामान्य आवागमन के साधन विकसित नहीं हों वहाँ श्रमिकों को आवागमन की सुविधा प्रदान करना, आदि बातों को सम्मिलित करना चाहिए।

**अध्ययन के उद्देश्य**- कर्मियों की कल्याणकारी योजनाओं के सापेक्ष कार्य-संतुष्टि का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।

**अध्ययन की परिकल्पना**-पूर्वोत्तर रेलवें के कार्मिक कल्याणकारी

---

1. छाबरा, टी0एन0 : ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेन्ट, कानसेप्ट एण्ड इशूस, 2015, पृ0 सं0 332
2. सहाय,आई0एम0 : आधुनिक कार्यालय प्रबन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा 2001 पृ0 सं0 316-317
3. श्रम जॉच समिति की रिपोर्ट, 1946 पृ0 सं0 345
4. जोशी,एन0एम0 : भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन, 1949 पृ0 सं0 26
5. आई0एल0ओ0 की रिपोर्ट, 1950 पृ0 सं0 03

योजनाओं से संतुष्ट नहीं हैं।

**अध्ययन की विधि**- इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के समंको का प्रयोग किया गया हैं। प्राथमिक समंको को एकत्रित करने हेतु न्यादर्श विधि के आधार पर गोरखपुर मुख्यालय में कार्यरत कर्मियों को प्रेक्षण विधि, प्रश्नावली, अनुसूची, रेटिंग मापनी एवं साक्षात्कार विधियों का प्रयोग करते हुए सूचनाएं प्राप्त की गई है। द्वितीयक समंको के लिए विभिन्न पत्रिकायें, जर्नल, पुस्तकें, विभिन्न संघों की रिपोर्टों को भारतीय रेलवे के क्षेत्रीय संगठन, पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय से प्राप्त किया गया हैं।

2. **भारतीय रेलवे द्वारा कार्मिक हेतु प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ निम्नवत् हैं-**

**( क ) रेल कर्मियों के बच्चों को विद्यालय की सुविधाएँ-**

शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का दायित्व है, इसलिए रेल मंत्रालय की नीति यह है कि इस क्षेत्र में दखल न दिया जाए सिवाय सीमित मामलों के जिनका उल्लेख नीचे किया गया है-

रेल बस्तियों में उन सुविधाओं की व्यवस्था, जिनकी व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारें या अन्य शिक्षा संगठन तैयार न हों। यदि विकल्प केवल यह हो कि रेल कर्मियों के बच्चे शिक्षा सुविधाओं से वंचित रहेंगे, तो प्रारम्भिक शिक्षा और जहाँ पड़ोस में कोई उच्च विद्यालय न हो, वहाँ रेल बस्तियों में उच्च विद्यालय तक की शिक्षा को अपरिहार्य उत्तरदायित्व माना जाना चाहिए। जहाँ रेल कार्मिक किसी ऐसे स्थान पर तैनात हों जहाँ विद्यालय एवं कालेज नहीं हैं तो वहाँ उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**( ख ) ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति एवं शिशु शिक्षा सहायता-**

- इस नियम को 'शिशु शिक्षा भत्ता स्कीम' के नाम से जाना जायेगा।
- इसका लाभ अधिकतम 2 बड़े बच्चे तक देय होगा। इसके बावजूद अगर जुड़वा बच्चा या अधिक बच्चा पैदा होता है तो वे सभी इस लाभ के पात्र होंगे।
- यह सुविधा विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नर्सरी से बारहवीं श्रेणी तक के विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों को देय होगा।
- यह सुविधा उन विद्यार्थियों को भी देय होगा जो किसी कारण वश अपने वर्ग के परीक्षा में असफल घोषित हुए हैं।
- इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया जा सकता है- ट्यूशन फीस, एडमीशन फीस, लेबोरेटरी फीस, कृषि वर्ग हेतु विशेष फीस, इलेक्ट्रानिक म्यूजिक, प्रेक्टिकल कार्य, किसी सहायता या सुविधा प्राप्ति हेतु फीस, लाइब्रेरी फीस, खेल फीस तथा अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधयों के लिए फीस तथा एक सेट टेक्स्ट बुक (किताब) एवं नोट बुक, दो सेट यूनिफार्म (स्कूल ड्रेस) एवं एक सेट जूता इत्यादि का वर्ष में एक बार बच्चे के पक्ष में प्रतिपूर्ण हेतु दावा किया जा सकता है।
- प्रतिपूर्ति, हेतु एक वर्ष में अधिकतम 18000 रू0 का दावा एक बच्चे के पक्ष में किया जा सकता है।
- इस स्कीम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु त्रैमासिक दावा किया जा सकता है। त्रैमासिक 4500 रू0 से अधिक का भी दावा किया जा सकता है। किन्तु दूसरे तिमाही में 4500 रू0 से कम अर्थात् पहले छमाही में कुल अधिकतम 9000 रू0 का दावा किया जा सकता है तथा वर्ष में अधिकतम 18000 रू0।
- अगर पति एवं पत्नी दोनों कर्मचारी हों तो केवल एक के द्वारा ही 9000 रू0 का दावा किया जा सकता है तथा वर्ष में अधिकतम 18000 रू0 ।
- हॉस्टल सब्सीडी 3750 रू0 प्रति माह प्रति बच्चे के दर अधिकतम 2 बच्चे के पक्ष में प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया जा सकता है। हॉस्टल सब्सिडी एवं शिशु शिक्षा सहायता की सुविधा एक साथ देय नहीं है।
- मंहगाई भत्ते में 50 प्रतिशत वृद्धि होने के पश्चात् उपर्युक्त सुविधाओं में 25 प्रतिशत की वृद्धि स्वत: हो जायेगी।
- प्रतिपूर्ति हेतु सभी मूल रसीदों के साथ कर्मचारी द्वारा स्वयं प्रमाणित प्रपत्र के साथ दावा किया जा सकेगा।

**प्राधिकारी : PC/VI/24/, RBE NO./135/2008**

**( ग ) रेल कर्मचारी हित निधि**- (स्टाफ बेनिफिट फंड-एम0बी0एस0) कर्मियों और उनके बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन, खेल-कूद, बिमारी, मृत्यु इत्यादि की स्थिति में इस निधि से सहायता प्रदान किया जाता है। रेल कर्मचारी हित निधि का वर्णन निम्नवत् है-

(i) **रेल कर्मचारी हित निधि का प्रयोग**- रेल कर्मचारी हित निधि का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है-

- कर्मियों के बच्चे को इण्टर क्लास (12वीं) के आगे उच्च शिक्षा (बी0टेक एम0टेक0 एम0बी0बी0एस0 बी0फार्मा तथा डिप्लोमा) इत्यादि प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 18000 रू0 की दर

से तथा मूक एवं बाधिर तथा अन्धे छात्र को तथा ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के आश्रित को वजीफा प्रदान किया जाता है। इसमें पुस्तकीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में विद्यालय/कालेज में नामांकन के पश्चात् आवेदन फार्म प्राप्त करके तथा उसे भरकर सम्बन्धित कार्मिक कार्यालय में जमा कर देना चाहिए।

- जब कार्मिक गम्भीर रूप से बीमार हो तथा उसकी छुट्टी खातें में कोई छुट्टी शेष नहीं हो तो ऐसे कर्मियों को एस0बी0एस0 से प्रतिमाह 1000 रू0 निर्वाह भत्ता के रूप में प्रदान किया जाता है तथा ग्रुप 'डी' कर्मियों को चश्मा खरीदने हेतु अनुदान दिया जाता है।
- जब सेवा काल में किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार हेतु एस0बी0एस0 से 10000 रू0 प्रदान किया जाता है।

**(घ) स्कूल पास-अवकाश अवधि में जारी**- रेलकर्मियों को अपने बच्चे के पक्ष में स्कूल पास प्राप्त करने हेतु शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में प्रतिवर्ष स्कूल प्रमाण-पत्र, पास जारी करने वाले कार्यालय में जमा कर देना चाहिए। तत्पश्चात् स्कूल में अवकाश से एक माह (संशोधित आदेश दिनांक 04.07.2011 के अनुसार चार माह) पूर्व बिना अवकाश प्रमाण पत्र जारी करने वाले कार्यालय में जमा कर देना होगा।

**प्राधिकारी - E-(W) 2010/105/PS-5-1/11 RBE No. 104/2010 दिनांक . 23-07-2010**

**(ङ) ऋण सुविधाएँ**- सीमित आय वर्ग वालों को ऋण की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। भारतीय रेलवे अपने कर्मियों को आकस्मिक खर्चों के लिए, जैसे साइकिल, बिजली के पंखे, स्कूटर, कार, इत्यादि खरीदने के लिए अग्रिम वेतन ऋण के रूप में दे देते हैं जो मासिक किस्तों के जरिये वसूल कर लिया जाता है। कर्मियों को अपने प्रोविडण्ट फण्ड में से भी ऋण लेने का अधिकार होता है। रेलवे अपने कर्मियों को रियायती दरों पर मकान बनवाने या खरीदने के लिए ऋण देते हैं। रेलवे महत्वपूर्ण त्यौहारों के अवसर पर कर्मियों को 'त्यौहार-अग्रिम' भी दिया जाता है।

**मोटर कार - अग्रिम की राशि**

वेतन बैण्ड में वेतन रू0. 19530/-
रू0.1,80,000/-

**मोटरसाइकिल/स्कूटर अग्रिम**

वेतन बैण्ड में वेतन रू0. 8560 /-
रू0.30,000/-

**कम्प्यूटर क्रय अग्रिम**

वेतन बैण्ड में वेतन रू0. 8560 /-
अधिकारी रू0.30,000/-

**मोटरसाइकिल/स्कूटर अग्रिम**

वेतन बैण्ड में वेतन रू0 8560/-से कम
रू0.20,000/-

**प्राधिकार - PC/VI/84, RBE No. 42/2009 दिनाँक -26.02.09**

**प्राकृतिक आपदा अग्रिम**

छठे वेतन आयोग की सिफारिस के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदा अग्रिम की राशि रू0
7500 (पचहत्तर सौ) कर दिया गया है।

**प्राधिकार - PV/VI/46, RBE No. 175/2008 दिनांक - 14.11.08**

**साइकिल अग्रिम**

वे सभी रेल कर्मी जो रू0 2800 तक ग्रेड वेतन पाते है साइकिल क्रय करने हेतु रू0 3000 साइकिल अग्रिम पाने के हकदार होंगे।

**गर्म कपड़ा अग्रिम**

मैदानी इलाके से स्थानान्तरित होकर पहाड़ी इलाके में तैनाती पर जाने वाले रेलकर्मी गर्म कपड़ा अग्रिम मद में रू0 3000 प्राप्त करने के हकदार होंगे।

**त्यौहार अग्रिम**

सभी अराजपत्रित रेलकर्मी जिनका ग्रेड वेतन रू0 4800 से अधिक नहीं है त्यौहार अग्रिम मद में रू0 3000 प्राप्त करने के हकदार होंगे।

**भवन निर्माण अग्रिम**

भवन निर्माण अग्रिम के नियम निम्नांकित हैं-

(i) नया निर्माण/नया भवन/फ्लैट के क्रय मामले में 34 माह का वेतन बैण्ड में वेतन (ग्रेड वेतन छोड़कर) जिसकी अधिकतम सीमा रू0 7.50 लाख अथवा भवन का मूल्य अथवा रेलकर्मी की

भुगतान करने की क्षमता, इनमें जो भी कम हों।

(ii) पूर्व भवन के विस्तारीकरण मामले में 34 माह का वेतन केवल, जो अधिकतम रू0 1.80 लाख अथवा विस्तारीकरण का व्यय अथवा रेलकर्मी की भुगतान करने की क्षमता, इनमें जो भी कम हों।

(iii) कुल लागत का सिलिंग लिमिट वेतन बैंड में वेतन का 134 गुना जो न्यूनतम रू0 7.50 लाख तथा अधिकतम रू0 30 लाख होगा। अधिकतम लागत सिलिंग लिमिट रू0 30 लाख में 25 प्रतिशत की रियायत हो सकती है।

**प्राधिकार : PC/VI/69, RBE No. 7/2009 दिनाँक - 12-01-2009**

**(च) मनोरंजन सुविधाएँ** - रेलवे अपने कर्मियों के मनोरंजन साधनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मुख्यालय में समय-समय पर कर्मियों के लिए पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजित किया जाता है। रेलवे अपने कर्मियों के लिए क्लब व सामुदायिक केन्द्र खोल रखे हैं जहाँ कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, शतरंज व ताश - जैसे अन्दरूनी खेलों, वाचनालयों व पुस्तकालयों की सुविधा उपलब्ध होती है। रेलवे अपने कर्मियों के लिए फिल्मों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। रेलवे की फुटबाल, क्रिकेट व हॉकी टीमें हैं जिन्होंने रेलवे का नाम रोशन किया है। रेलवे ने शिमला, मंसूरी - जैसे पहाड़ी शहरों में अवकाश गृह खोले हुए हैं, कार्मिक नाममात्र का शुल्क देकर वहाँ अपनी छुट्टियाँ व्यतीत कर सकते हैं।[6]

**(छ) खेलकूद** - रेलों की खेल व्यवस्था बहुत पुरानी और प्रसिद्ध है अनेक रेल खिलाड़ी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाते हैं। कितने ही रेल कार्मिक पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, ओलम्पिक पुरस्कार आदि प्राप्त कर चुके हैं। नौकरी में भर्ती के लिए कोटा, श्रेष्ट खेल के लिए प्रोत्साहन, विशेष आकस्मिक छुट्टी आदि तमाम सुविधायें मिलती हैं। रेलों पर आधुनिक सुविधाओं वाले स्टेडियम हैं।

**(झ) चिकित्सा-सुविधाएँ** - पूर्वोत्तर रेलवे अपने कर्मियों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। जिसके अन्तर्गत बहुत से अस्पताल, क्लिनिक, प्रसूति गृह एवं चलित चिकित्सा वाहन, मुख्यालय व मण्डल कार्यालय पर उपलब्ध है।

6. शर्मा, माघव प्रसाद, : पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ पुस्तिका 2015 पृ0सं031-36

**(ठ) कैण्टीन व आहार गृह** - पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय व प्रत्येक मण्डलीय कार्यालय में कर्मियों को कैण्टीन सुविधा प्रदान की गयी है। अधिकांशत: कैण्टीनों का प्रबन्धन सहकारी, विभागी व कार्मिक समितियों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बिजली पानी व फर्नीचर की पूर्व सुविधाओं के साथ भवन पू0उ0 रेलवे प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध करायें गये हैं। जहाँ कार्मिक भोजन व नाश्ते, जैसे-चाय, काफी, मिठाइयां, नमकीन इत्यादि का स्वाद ले सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मुख्यालय में कैण्टीनों की कुल संख्या 26 है।[7]

**(ड) गृह-सुविधा** - पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने सभी श्रेणी के कर्मियों के निवास के लिए कालोनियों का निर्माण कराया है। मुख्यालय पर द्वितीय व तृतीय श्रेणियों के लिए बहुत सी कालोनियों का निर्माण कराया है तथा मण्डलीय कार्यालय के अन्तर्गत भी अच्छे भवनों का निर्माण कराया है, जिनमें तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रनिंग स्टाफ व इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी निवास करते हैं।[8]

## 3. कल्याणकारी योजनाओं का विश्लेषण -

कर्मियों की कल्याणकारी योजनाओं के सापेक्ष उनकी कार्य संतुष्टि का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं प्रेक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। यह प्रश्नावली स्वनिर्मित की गई, तत्पश्चात् इनको 450 प्रतिदर्शों पर प्रशासित किया। इनका प्रगणन कर सांख्यिकी विश्लेषण हेतु ऑकड़ों को वर्गीकृत किया गया, जिसमें माध्य, प्रमाप विचलन एवं प्रसरण की गणना की गई, इसके साथ ही परिकल्पना का सार्थकता का परीक्षण हेतु Z-परीक्षण की गणना की गई तथा परिकल्पना का परीक्षण किया गया।

उपरोक्त के आलोक में प्रस्तुत अध्याय में पूर्वोत्तर रेलवे के कार्मिक कल्याणकारी उपाय की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया, जिन्हें निम्नलिखित सारणियों के माध्यम से प्रस्तुत कर उनका समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है-

तालिका संख्या 1 के अवलोकन से पूर्वोत्तर रेलवे में कार्मिक कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता के बारे में निम्नलिखित परिणाम दृष्टिगत हैं-

- पूर्वोत्तर रेलवे के कार्मिक कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता के मूल्यांकन में सन्तुष्टि प्रदर्शित करने वाले प्रतिदर्शों

7. भारतीय रेल की कैंटीन पुस्तिका 2016 - सार संक्षेप
8. शर्मा, माघव प्रसाद : पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ पुस्तिका 2015 पृ0 सं0 18-19

**तालिका संख्या-१**

**पूर्वोत्तर रेलवे मे कार्मिक कल्याण मापनी के लिए आवृत्ति एवं प्रतिशत**

| क्रम सं० | कथन | अत्यधिक असंतुष्ट | | असन्तुष्ट | | उदासीन/तटस्थ | | संतुष्ट | | अत्यधिक संतुष्ट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवृत्ति | % | आवृत्ति | % | आवृत्ति | % | आवृत्ति | % | आवृत्ति | % |
| 01 | क्या आप अपने आवास पर मिलने वाली सुविधाओं (जो भारतीय रेलवे प्रदान करती है) से संतुष्ट हैं? | 15 | 3.33 | 57 | 12.67 | 228 | 50.67 | 141 | 31.33 | 9 | 2 |
| 02 | क्या आप रेलवे द्वारा प्राप्त चिकित्सकीय सुविधाओं से संतुष्ट हैं? | 27 | 6 | 138 | 30.67 | 33 | 7.33 | 231 | 51.33 | 21 | 4.67 |
| 03 | क्या आप भारतीय रेलवे परिक्षेत्र में मिलने वाली कैन्टीन सुविधाओं से संतुष्ट हैं? | 39 | 8.67 | 144 | 32 | 51 | 11.33 | 204 | 45.33 | 12 | 2.67 |
| 04 | लाभकारी सुविधायें- (जैसे शौचालय तथा मूत्रलय, पेयजल, नहाने तथा कपड़े धोने की सुविधा एवं विश्राम स्थल) आपके लिए उपलब्ध है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? | 39 | 8.67 | 165 | 36.67 | 39 | 8.67 | 189 | 42 | 18 | 4 |
| 05 | कर्मचारी कल्याण निधि (यह निम्न उद्देश्य के लिए रखे जाते हैं जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खेल-कूद, स्काउट एवं सांस्कृतिक गतिविधियों) जो आपको रेलवे जोन द्वारा प्रदान किये जाते हैं, क्या आप उससे संतुष्टि हैं? | 24 | 5.33 | 81 | 18 | 60 | 13.33 | 264 | 58.67 | 21 | 4.67 |
| 06 | क्या आप भारतीय रेलवे द्वारा प्रदत्त मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं से संतुष्ट हैं? | 15 | 3.33 | 132 | 29.33 | 111 | 24.67 | 183 | 40.67 | 9 | 2 |
| 07 | क्या आप भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली यातायात सुविधाओं से संतुष्ट हैं? | 24 | 5.33 | 27 | 6 | 36 | 8 | 345 | 76.67 | 18 | 4 |
| 08 | क्या आप रेलवे द्वारा दी जाने वाली बच्चों की शिक्षा सुविधाओं से संतुष्ट हैं | 24 | 5.33 | 84 | 18.67 | 93 | 20.67 | 234 | 52 | 15 | 3.33 |
| 09 | भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली घरेलू अवकाश से संतुष्ट हैं? | 21 | 4.67 | 36 | 8 | 54 | 12 | 318 | 70.67 | 21 | 4.67 |
| 10 | क्या आप भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? | 12 | 2.67 | 60 | 13.33 | 84 | 18.67 | 273 | 60.67 | 21 | 4.67 |
| 11 | क्या आप भारतीय रेलवे द्वारा प्रदत्त सेवा निवृत्ति लाभ योजना (जैसे प्रोविडेन्ट फण्ड एवं पेशन) से संतुष्टि हैं? | 33 | 7.33 | 30 | 6.67 | 81 | 18 | 285 | 63.33 | 21 | 4.67 |
| 12 | रेलवे द्वारा दी जाने वाली समस्त सुख सुविधाओं से क्या आप संतुष्ट हैं? | 18 | 4 | 57 | 12.67 | 66 | 14.67 | 282 | 62.67 | 27 | 6 |

में आवासीय सुविधा से 31.33 प्रतिशत सन्तुष्टि का बोध जबकि 02 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्टि का बोध प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार चिकित्सकीय सुविधाओं से 51.33 प्रतिशत सन्तुष्ट तथा 4.67 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्ट, कैन्टीन सुविधाओं से 45.33 प्रतिशत सन्तुष्ट तथा 2.67 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्ट, अन्य लाभकारी सुविधाओं जैसे- पेयजल, विश्रामस्थल एवं शौचालय से 42 प्रतिशत संतुष्ट तथा 4 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्ट, कार्मिक कल्याणकारी निधि से जैसे- खेलकूद इत्यादि से 58.67 प्रतिशत सन्तुष्ट जबकि 4.67 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्ट, मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं से 40.67 प्रतिशत सन्तुष्ट तथा 2 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्ट, यातायात सुविधाओं से 76.67 प्रतिशत सन्तुष्ट तथा 4 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्ट, शिक्षा सुविधाओं से 52 प्रतिशत सन्तुष्ट तथा 3.33 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्ट, घरेलू अवकाश सम्बन्धी सुविधाओं से 70.67 प्रतिशत सन्तुष्ट जबकि 4.67 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्ट, प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम से 60.67 प्रतिशत सन्तुष्ट तथा 4.67 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्ट तथा सेवा निवृत्त लाभ योजना से 63.33 प्रतिशत सन्तुष्ट जबकि 4.67 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्ट, इस प्रकार समस्त सुख सुविधाओं से 62.67 प्रतिशत सन्तुष्ट तथा 6 प्रतिशत अत्यधिक सन्तुष्ट हैं।

- इसी प्रकार कार्मिक कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता के मूल्यांकन करने पर असन्तुष्ट एवं अत्यधिक असन्तुष्ट का बोध करने वाले उत्तरदाताओं का विवरण इस प्रकार है-

आवासीय सुविधाओं से 12.67 प्रतिशत असन्तुष्ट का बोध जबकि 3.33 अत्यधिक असन्तुष्ट का बोध प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार चिकित्सकीय सुविधाओं से 30.67 प्रतिशत असन्तुष्ट तथा 6 प्रतिशत अत्यधिक असन्तुष्ट, कैंटीन सुविधाओं से 32 प्रतिशत असन्तुष्ट तथा 8.67 प्रतिशत अत्यधिक असन्तुष्ट, अन्य लाभकारी सुविधाओं जैसे- पेयजल, विश्रामस्थल, एवं शौचालय से 36.67 प्रतिशत असन्तुष्ट तथा 8.67 प्रतिशत अत्यधिक असन्तुष्ट, कार्मिक कल्याणकारी निधि से जैसे खेलकूद इत्यादि से 18 प्रतिशत असन्तुष्ट तथा 5.33 प्रतिशत अत्यधिक असन्तुष्ट, मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं से 29.33 प्रतिशत असन्तुष्ट तथा 3.33 प्रतिशत अत्यधिक असन्तुष्ट, यातायात सुविधाओं से 6 प्रतिशत असन्तुष्ट तथा 5.33 प्रतिशत अत्यधिक असन्तुष्ट, शिक्षा सुविधाओं से 18. 67 प्रतिशत असन्तुष्ट तथा 5.33 प्रतिशत अत्यधिक असन्तुष्ट, घरेलू अवकाश सम्बन्धी सुविधाओं से 8 प्रतिशत असन्तुष्ट तथा 4.67 प्रतिशत अत्यधिक असन्तुष्ट, प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम से 13.33 प्रतिशत असन्तुष्ट जबकि 2.67 प्रतिशत अत्यधिक असन्तुष्ट तथा सेवानिवृत्ति लाभ योजना से 6.67 प्रतिशत असन्तुष्ट जबकि 7.33 प्रतिशत अत्यधिक असन्तुष्ट, इस प्रकार समस्त सुख सुविधाओं से 12.67 प्रतिशत असन्तुष्ट तथा 4 प्रतिशत अत्यधिक असन्तुष्ट का बोध होता है।

- इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रतिशत कल्याणकारी योजनाओं के प्रति तटस्थता का भाव प्रदर्शित करते हैं-

आवासीय सुविधाओं से 50.67 प्रतिशत तटस्थता का बोध प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार चिकित्सकीय सुविधाओं से 7.33 प्रतिशत, कैन्टीन सुविधाओं से 11.33 प्रतिशत, अन्य लाभकारी योजनाओं से जैसे- पेय जल इत्यादि से 8.67 प्रतिशत, कार्मिक कल्याणकारी निधि से 13.33 प्रतिशत, मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं से 24.67 प्रतिशत, यातायात सुविधाओं से 8 प्रतिशत, शिक्षा सुविधाओं से 20.67 प्रतिशत, घरेलू अवकाश से 12 प्रतिशत, प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम से 18.67 प्रतिशत, तथा सेवानिवृत्त लाभ योजना से 18 प्रतिशत, इसी प्रकार समस्त सुख सुविधाओं से 14.67 प्रतिशत तटस्थ होने का बोध होता है।

तालिका संख्या-2

**सम्पूर्ण प्रतिदर्श की कार्मिक कल्याण मापनी के योजनाओं का वर्णनात्मक आंकड़े**

| N | न्यूनतम | अधिकतम | माध्य ($\overline{X}$) | प्रमाप विचलन (S) |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 2 | 77 | 39.96 | 11.99 |

उपरोक्त तालिका 2 के मूल्यांकन करने से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं की कार्मिक कल्याणकारी मापों की प्रभावशीलता का माध्य स्कोर 39.96 एवं प्रमाप विचलन 11.99 है।

पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मियों के परिप्रेक्ष्य में यह समझा जाता है कि कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावशीलता से सन्तुष्ट हैं। इसके परिणाम को ग्राफ संख्या 1 के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

**ग्राफ संख्या -१**

कर्मियों की कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता से सन्तुष्टि

तालिका संख्या-3

कार्मिक कल्याण के अध्ययन के लिए जॉच एवं सांख्यिकी विश्लेषण करना

| क्रम सं0 | प्रश्न | माध्य $(\overline{X})$ | प्रमाप विचलन $(\sigma)$ | प्रसरण $(\sigma^2)$ |
|---|---|---|---|---|
| | **पूर्वोत्तर रेलवे में कार्मिक कल्याण मापनी** | | | |
| 01 | क्या आप अपने आवास पर मिलने वाली सुविधाओं (जो भारतीय रेलवे प्रदान करती है) से संतुष्ट है ? | 3.16 | 0.79 | 0.63 |
| 02 | क्या आप रेलवे द्वारा प्राप्त चिकित्सकीय सुविधाओं से संतुष्ट हैं ? | 3.18 | 1.10 | 1.21 |
| 03 | क्या आप भारतीय रेलवे परिक्षेत्र में मिलने वाली कैन्टीन सुविधाओं से संतुष्ट हैं ? | 3.01 | 1.108 | 1.229 |
| 04 | जो लाभकारी सुविधायें (जैसे-शौचालय तथा मूत्रलय, पेयजल, नहाने तथा कपड़े धोने की सुविधा एवं विश्राम स्थल) आपके लिए उपलब्ध है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? | 2.96 | 1.136 | 1.292 |
| 05 | कर्मचारी कल्याण निधि (यह निम्न उद्देश्यों के लिए रखें जाते हैं, जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खेलकूद, स्काउट एवं सांस्कृतिक गतिविधियों) जो आपको रेलवे जोन द्वारा प्रदान किये जाते हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं ? | 3.39 | 1.006 | 1.012 |
| 06 | क्या आप भारतीय रेलवे द्वारा प्रदत्त मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं से संतुष्ट हैं ? | 3.09 | 0.952 | 0.906 |
| 07 | क्या आप भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली यातायात सुविधाओं से संतुष्ट हैं ? | 3.68 | 0.859 | 0.739 |
| 08 | क्या आप भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली बच्चों की शिक्षा सुविधाओं से संतुष्ट हैं ? | 3.29 | 0.984 | 0.968 |
| 09 | भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली घरेलू अवकाश से संतुष्ट हैं ? | 3.63 | 0.876 | 0.767 |
| 10 | क्या आप भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम से संतुष्ट हैं ? | 3.51 | 0.878 | 0.779 |
| 11 | क्या आप भारतीय रेलवे द्वारा प्रदत्त सेवा निवृत्ति लाभ योजना (जैसे प्राविडेण्ट फण्ड एवं पेंशन) से संतुष्ट हैं ? | 3.51 | 0.957 | 0.916 |
| 12 | रेलवे द्वारा दी जाने वाली समस्त सुख सुविधाओं से क्या आप संतुष्ट हैं? | 3.52 | 0.919 | 0.844 |

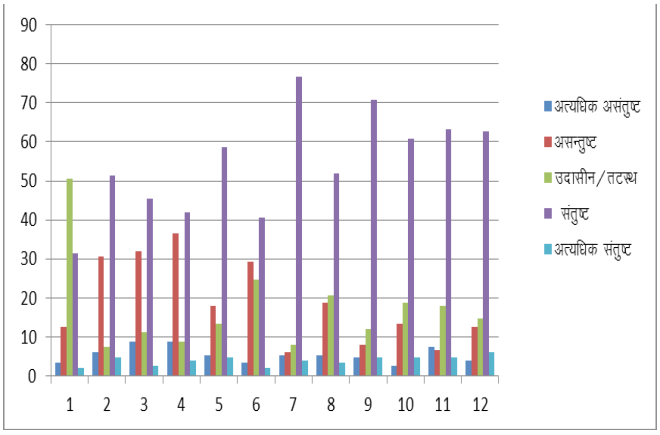


स्रोत : प्रश्नावली

उपरोक्त ग्राफ को देखने से स्पष्ट होता है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकांश कार्मिक उत्तरदाता कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता से सन्तुष्टि का बोध प्रकट करते हैं।

**३( १ ) परिकल्पना का परीक्षण-**

उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन करने से यह पता चलता है कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मुख्यालय के कार्मिक कल्याणकारी सुविधाओं से अधिकांश कार्मिक संतुष्ट तथा कुछ कार्मिक असंतुष्ट है।

प्रश्नावली में दिये गये सभी प्रश्नों से उत्तरदाताओं को परिचित कराया गया और कर्मियों ने सभी प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रश्नावली के प्रश्नों का दृष्टिकोण प्रदर्शित करने के लिए माध्य एवं प्रमाप विचलन निकाला गया। उत्तरदाताओं ने बहुत से प्रश्नों पर सकारात्मक उत्तर दिया और कुछ प्रश्नों पर नकारात्मक उत्तर दिया। सभी प्रश्न रेल कर्मियों के लिए चुने गये थे। उच्च निर्णय के लिए स्केल का माध्य (3)* का प्रयोग किया गया, परिणाम यह हुआ कि यदि इससे कम अनुक्रिया है तो परिण ाम होगा कि कार्मिक कल्याण मापनी के योजनायें प्रासंगिक नहीं होगा और यदि अनुक्रिया का परिणाम 3 से ज्यादा है तो परिणाम कर्मियों के लिए सार्थक होगा।

*स्केल का माध्य $(1+2+3+4+5)/5=3$

सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों का संकलन एवं सांख्यिकी विश्लेषण ऊपर तालिका- 3 मे किया गया है-

तालिका 3 में सामान्यत: यह पाया गया कि सर्वाधिक प्रश्नों के माध्य एवं उनके प्रमाप विचलन सकरात्मक मनोवृत्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि उनके माध्य 3 से कम है तो पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मुख्यालय के कर्मियों की अनुक्रिया प्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन यदि परिणाम 3 से ज्यादा होगा तो परिणाम उचित होगा।

**पूर्वोत्तर रेलवे के कार्मिक कल्याण मापनी** -तालिका 3 के मूल्यांकन से पता चलता है कि अधिकतर उत्तरदाता सकरात्मक मनोवृत्ति रखते हैं क्योंकि उनका माध्य, माध्य स्केल (3) से ज्यादा है। प्रश्न के क्रम सं0 (07) का माध्य सर्वाधिक (3.68) है। इस प्रश्न का कथन इस प्रकार था- ''क्या भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली यातायात सुविधाओं से संतुष्ट है ? प्रश्न के क्रम सं0 (4) का माध्य (2.96) है जो सबसे कम है। प्रश्न का कथन इस प्रकार था- ''जो लाभकारी सुविधायें आपके लिए उपलब्ध है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अत: अधिकतर उत्तरदाता इस प्रश्न सें संतुष्ट नही है ।

**३ ( २ ) अध्ययन का परिणाम**

**परिकल्पना :**

**$H_0$ :** पूर्वोत्तर रेलवें के कार्मिक कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्ट नही हैं ।

**$H_{01}$ :** पूर्वोत्तर रेलवें के कार्मिक कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्ट हैं।

परिकल्पना के परीक्षण के क्रम में, एकल न्यादर्श Z- परीक्षण लागू होगा क्योंकि न्यादर्श का आकार बड़ा है और माध्य स्कोर, तटस्थ माध्य स्कोर (12 * 3 = 36) से ज्यादा है।

किसी दिये हुए स्थिर मान से माध्य की तुलना करने के लिए एकल न्यादर्श स्थान परीक्षण में प्राय: Z परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यदि अनुपालन करने वाले आकड़ें $(X_1+.....+X_n)$ हों और अन्य मदें इस प्रकार हों-(i) सहसम्बन्धित न हों (ii) समग्र का माध्य $\mu$ हो (iii) समग्र का विचलन $\sigma^2$ हो तब न्यादर्श का माध्य (X) समग्र का माध्य $(\mu)$ और विचलन $\sigma^2/N$ होगा। यदि हमारी शून्य परिकल्पना में समग्र का माध्य $\mu$ दिया हो तब हम परीक्षण फलन के रूप में $\bar{x}-\mu$ का प्रयोग कर सकते हैं और तब शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो जाएगी, यदि $\bar{x}-\mu$ सें बड़ा हो।

प्रमाणित फलन Z की गणना इस सूत्र से की जायेगी।

$$Z=\frac{\bar{x}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

यह Z प्रमाणित प्रसमान्य वितरण होगा। हमें $\sigma^2$ का अनुमानित मान प्राप्त करने के लिए की $S^2$ गणना कर सकते हैं।

**एकल माध्य की सार्थकता का परीक्षण**

यदि न्यादर्श का आकार बड़ा हो तो Z परीक्षण सांख्यिकी एवं सूत्र का प्रयोग करते हैं-

$$Z=\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

शून्य परिकल्पना - यहाँ पर न्यादर्श का माध्य $(\overline{X})$ और समग्र का माध्य $\mu$ में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

यदि समग्र प्रमाप विचलन ( $\sigma$ ) अज्ञात है तो हम न्यादर्श का प्रसरण $\sigma^2=S^2$ का प्रयोग करते हैं।

$\sigma=S$ (बड़े प्रतिदर्श के लिए),

$$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{n-1}^{n}\left(x_1-\bar{x}\right)^2 = \text{(न्यादर्श प्रसरण)}$$

तालिका संख्या- 4

| | N | माध्य ($\bar{x}$) | प्रमाप विचलन ($\sigma_x$) | माध्य के प्रमाप विभ्रम (S.E of Mean)* |
|---|---|---|---|---|
| कार्मिक कल्याणरी उपाय की प्रभावशीलता | 450 | 39.96 | 11.99 | 0.565 |

*माध्य के प्रमाप विभ्रम S.E of Mean ( $\sigma_{\bar{x}}$) $= \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$

or

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \frac{11.99}{\sqrt{450}} = \frac{11.99}{21.21} = 0.565$$

$$Z = \frac{x-\mu}{s/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

जहाँ:- न्यादर्श का माध्य $(\bar{x})$, समग्र का माध्य ( $\mu$ ), न्यादर्श का प्रमाप विचलन (S)

$$Z = \frac{39.96-36}{11.99} X \sqrt{450}$$

$$Z = \frac{3.96-36}{11.99} X\ 21.21 = 7.01$$

तालिका संख्या- 5

| (समग्र का माध्य) परीक्षण मूल्य = 36 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्मिक कल्याणकारी उपाय की प्रभावशीलता | z | स्वातंत्र्य मात्रा d.f. | द्विपार्श्व सार्थकता परीक्षण sig (two tailed test) | माधय अन्तर Mean difference | 95% विश्वसनीय अन्तराल के अन्तर पर 95% Confidence interval of differance | |
| | | | | | न्यूनतम Lower* | अधिकतम Upper** |
| | 7.01 | 449 | 0.001 | 3.96 | 3.27 | 5.49 |

*न्यूनतम विश्वसनीय अन्तराल ( Lower confidence Interval)

$$\overline{X} - 1.96\,\sigma_{\bar{x}} = 4.38 - 1.96\ X\ 0.565$$
$$= 4.38 - 1.11$$
$$= 3.27$$

**अधिकतम विश्वसनीय अन्तराल (Upper confidence interval)

$$\overline{X} + 1.96\,\sigma_{\bar{x}} = 4.38 + 1.96\ X\ 0.565$$
$$= 4.38 + 1.11$$
$$= 5.49$$

उपरोक्त आकड़ों का सत्यापन के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा 0.05 अर्थात् 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर परिकल्पना का परीक्षण किया गया। उपरोक्त परीक्षण से स्पष्ट होता है कि द्विपार्श्व परीक्षण 0.001 है जो सार्थकता के 0.05 स्तर से बहुत कम है। इस प्रकार 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना ($H_0$) अस्वीकृत हो

**( शेष पृष्ठ 106 पर )**

लयात्मक रेखांकन, सुरूचिपूर्ण रंग विधाान एवं स्थितिजन्य लघुता दिखाई देती है। यहाँ के चित्रों में सरलता और सौन्दर्यात्मकता सर्वत्र दर्शनीय है। चित्रकारों ने श्रेष्ठ कृतियों का चित्रण कर उस समय की कला निधि को अमर बना दिया है। ये चित्र पौराणिक कथाओं, कृष्ण चरित्र और उनके सामान्य जन-जीवन, लीलाओं एवं धार्मिकता को भावनात्मकता एवं रहस्यात्मकता से प्रस्तुत करते हैं। इन चित्रों का समीक्षात्मक अध्ययन कलागत तत्त्वों के आधार पर विद्वत जनों के समक्ष प्रस्तुत होगा जो कि समाज को एक नई दृष्टि प्रदान करेगा।

◆◆◆

---

**(पृष्ठ 90 का शेष)** **पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के..........**

गया। दूसरे शब्दो में, Z के तालिका मूल्य में 449 (d.f) के लिए 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान का मान 1.96 है। इस प्रकार गणना मूल्य (7.01), तालिका मूल्य से सार्थक रूप से ज्यादा है। अत: हम शून्य परिकल्पना अस्वीकृत करेंगें और निष्कर्ष निकलेगा की पूर्वोत्तर रेलवें के कार्मिक कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्ट हैं।

**निष्कर्ष** - प्रस्तुत शोध के परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मुख्यालय के कर्मियों की कार्य संतुष्टि उनके कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। परिणाम का उचित सांख्यिकी विश्लेषण कर तालिका में प्रदर्शित किया गया है। कर्मियों की कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता से अनुकूलता के स्तर को प्राप्त करते है, क्योकि उनका माध्य 36 से अधिक हैं अर्थात 39.96 हैं जो औसत सें अधिक है। अत: स्पष्टता कहा जा सकता है कि कार्मिक कल्याण ाकारी योजनाओं की प्रभावशीलता से संतुष्ट हैं ।

**सुझाव** -

(1) रेलवे अस्पताल में डाक्टरों की संख्या में वृद्धि की जाय एवं अस्पताल में जो सुविधा नहीं है उसे बाहर के अस्पतालों में अपने खर्चों पर उपलब्ध कराई जाए।

(2) गोरखपुर मुख्यालय में कैन्टीन की सुविधाओं में गुणात्मक सुधार की जाए ।

(3) कर्मियों के रहने के आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(4) कर्मियों के बच्चों के शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(5) वर्तमान समय में संविदा के द्वारा जो नियुक्तियाँ हो रही है उन्हें भी कार्मिक कल्याण प्रावधान में शामिल करना चाहिए। जिससे उनकी कार्य की गुणवत्ता बढ़ सके।

(6) पूर्वोत्तर रेलवे के पार्कों का रख-रखाव एवं सुविधाओं का समुचित विकास किया जाना चाहिए।

(7) कर्मियों को भोजन के समय मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए।

जैसे- कैरम, म्यूजिक, शतरंज, गेम इत्यादि।

(8) कर्मियों के लिए शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था बेहतर किया जाए।

(9) गोरखपुर मुख्यालय के कारखानों में कर्मियों के लिए शुद्ध पेयजल, नहाने, कपड़े धोने एवं विश्राम की समुचित व्यवस्था की जाए।

◆◆◆